

कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा।

पत्राक / मान्यता / अं०मा० / हि०मा० / ३७८१—०४
प्रबन्धक,

/ 2013-14 दिनांक-२९-६-२०१३

सिटी कॉन्वेन्ट स्कूल,
34/46 बी, महादेव रोड,
बल्केश्वर आगरा।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया।

आपके दिनांक 09.05.2008 के आवेदन और इस सबध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सिटी कॉन्वेन्ट स्कूल 34/46 बी-महादेव रोड बल्केश्वर आगरा (विद्यालय का नाम,पते सहित) को दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 31.07.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं—

- 1— मान्यता की मंजूरी विरतारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात भान्यता / सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3— विद्यालय कक्षा 1 मे (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा मे बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4— पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधरा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।
- 5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
(1) प्रवेश दिए गय किसी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।



(2)

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के अपबंध के अनुसार निःशक्तता प्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है: और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 3981 वर्ग गज

कुल निर्मित क्षेत्र 2000 वर्गगज

कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल 1984 वर्गगज

कक्षाओं की संख्या 10

प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह भांडागार के लिए कक्ष 04

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 02 02

पेयजल सुविधा समरसेविल

मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई 01

बाधारहित पहुंच डाबर रोड

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता है।

9—विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10—विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।



(3)

11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखों की किसी चार्टड आकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 3701-04 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(देवेन्द्र प्रकाश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

पृष्ठाकान संख्या/मान्यता/

/2013-14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।

2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा।

5- समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।

6- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, आगरा।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।